सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 12 अक्तूबर, 2015 को आईसीएसएसआर भवन, नई दिल्ली में आयोजित वित्त समिति की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्य :

1.	प्रोफेसर टी.बी.सुब्बा, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्रीमती दर्शना एम डबराल [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
3.	श्री सुखबीर सिंह संधु [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
4.	डॉ. के. पी. सिंह [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
5.	प्रो. अशोक के दत्ता [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
6.	श्री एम. जी. किरण [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
7.	श्री टी.के.कौल [कुलसचिव]	विशेष आमंत्रित
8.	सी.ए. पी.के.सिंह [वित्त अधिकारी]	सदस्य

श्री फजल महमूद, उप सचिव (वित्त), एमएचआरडी ने श्रीमती दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित] की ओर से बैठक में उनका प्रतिनिधित्व किया।

श्री उमेश कुमार, उप सचिव (सीयू और एल), एमएचआरडी ने डॉ. सुखबीर सिंह संधु [विजिटर द्वारा नामित] सदस्य की ओर से बैठक में उनका प्रतिनिधित्व किया।

श्री सी. तालुकदार, उप कुलसचिव (वित्त) ने समिति को सहायता प्रदान की।

बैठक के लिए कोरम पूरा हो गया है, अध्यक्ष ने बैठक प्रारम्भ होने की घोषणा की।

समिति ने एजेंडा के सभी मुद्दो को एक के बाद एक चर्चा की।

एफ़सी:13:01	**दिनांक 08.11.2014 को आयोजित वित्त समिति की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि**

एजेंडा टिप्पणी :

दिनांक 08.11.2014 के कार्यवृत्त को संपुष्टि हेतु **(अनुलग्नक -1 पृ/सं 1-9)** में रखा गया है। इन कार्यवृत्त को दिनांक 11.11.2014 को परिचालित किया गया था।

कार्यवृत्त :

सदस्यों ने मामलों पर चर्चा की और चूंकि किसी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है, अत: समिति ने उसकी पुष्टि की।

एफ़सी:13:02	**दिनांक 08.11.2014 को आयोजित वित्त समिति की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गयी**

	कार्रवाई रिपोर्ट

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

दिनांक 08.11.2014 को आयोजित समिति के बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुसार ली गयी कार्रवाई रिपोर्ट विचारार्थ **(अनुलग्नक –II पृ/सं. 10-19)** में रखा गया है।

<u>कार्यवृत्त</u>

पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी कार्रवाई को पैरा-वार विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया था। MAKAIAS के सहयोग से मौलाना आजाद केंद्र के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के संबंध में यूजीसी की ओर से वित्तीय देय के बारे में सदस्यों द्वारा पुछे जाने पर यह सूचित किया गया कि यूजीसी की ओर से कोई वित्तीय देय नहीं है। समिति ने उसे नोट किया।

सूचनार्थ विषय

एफ़सी:13:03	**सितंबर 2015 को समाप्त तिमाही के लिए अनुदानों की उपयोगिता रिपोर्ट**

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

सितम्बर 2015 को समाप्त तिमाही के लिए अनुदानों की उपयोगिता रिपोर्ट को आपके अवलोकन हेतु पटल पर रखा गया है।

समिति के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया था।

<u>कार्यवृत्त</u>

समिति द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों की उपयोगिता में हुई प्रगति को नोट किया गया है।

एफ़सी:13:04	**2014-15 के आंतरिक लेखारिपोर्ट**

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

साल 2014-2015 के लिए मेसर्स सुशील दास एंड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट को आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद को अभी तक भरा नहीं गया है। फ़र्म द्वारा दिनांक 4 मई 2015 को विश्वविद्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था।

समिति के विचार और अनुमोदन हेतु रिपोर्ट की प्रति **(अनुलग्नक –वी पृ/सं. 20-31)** में रखा गया गया है।

<u>कार्यवृत्त</u>

समिति सदस्यों ने रिपोर्ट पर चर्चा की और 2014-15 के लिएआंतरिक लेखा रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की।

एफ़सी:13:05	यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय का योजना व्यय और भवन परियोजना

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

यूजीसी के दिनांक 25 अगस्त 2015 के पत्र सं एफ़. सं. 1-1/2012 (सीयू) के माध्यम से सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अपनी वित्त समिति की बैठक में यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना व्यय और भवन परियोजना की प्रगति पर एक पृथक एजेंडा प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया था।

तदनुसार, यूजीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सूचना समिति के अनुमोदन हेतु **(अनुलग्नक –वी पृ/सं. 32)** में रखा गया गया है।

<u>*कार्यवृत्त*</u>

सदस्यों द्वारा मामले पर चर्चा की गई और चारदीवारी के निर्माण में देरी एवं इसके मद्देनजर लागत वृद्धि (यदि कोई हो) का कारण जानने की इच्छा जताई। सदस्यों को परिसर की चारदीवारी के निर्माण में देरी के कारण से अवगत कराया गया और साथ ही यह भी बताया गया कि देरी निर्माण और आवास विभाग, राज्य सरकार की तरफ

से हो रही है, इसलिए परियोजना लागत में किसी भी प्रकार वृद्धि नहीं की गयी है।

समिति ने इसे नोट किया और एजेंडा विषय को अनुमोदन प्रदान की।

एफ़सी: 13:06	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से साल 2014-15 के वार्षिक लेखाकी एसएआर रिपोर्ट जारी

<u>एजेंडा टिप्पणी :</u>

साल 2014-15 के वार्षिक लेखा की एसएआर रिपोर्ट भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से शीघ्र ही अपेक्षित है।

<u>*कार्यवृत्त*</u>

दिनांक 05.10.2015 को पत्र सं. सीओएम/सिक्किम विश्वविद्यालय/एसएआर/14-15/15-16/248 द्वारा साल 2014-15 के वार्षिक लेखा की एसएआर रिपोर्ट प्राप्त हुआ और बैठक में प्रस्तुत किया गया। पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा हुई और साल 2014-15 के लिए एसएआर को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुमोदनार्थ विषय

एफ़सी:13:07	वार्षिक लेखा 2014-15

<u>**एजेंडा टिप्पणी :**</u>

साल 2014-15 के लिए विश्वविद्यालय की वार्षिक लेखा **(अनुलग्नक -वी पृ/सं. 33-52)** में संलग्न है। दिनांक 15 जून 2015 से 19 जून 2015 तक सांविधिक अधिकारी द्वारा इन खातों का लेखा परीक्षा कराई गयी।

समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>कार्यवृत्त</u>

समिति द्वारा साल 2014-15 के लिए वार्षिक लेखा को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एफ़सी: 13:08	विश्वविद्यालय के हकदार अधिकारियों के लिए टेलीफोन (लैंडलाइन और/या मोबाइल कनैक्शन) और समाचार पत्र की सुविधा

<u>**एजेंडा टिप्पणी :**</u>

दिनांक 10.02.2015 को जारी कार्यालय आदेश सं. SU/2013/REG-03/M&TBR/2450/6280 के अनुसार विश्वविद्यालय में टेलीफोन (लैंडलाइन और/या मोबाइल कनेक्शन) और समाचार पत्र की सुविधा संबंधित हकदार अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कार्यालय के आदेश की सावधानीपूर्वक जांच के बाद यह महसूस किया गया है कि यह आदेश व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र और कार्यालय आदेश के अनुरूप नहीं है। सिक्किम विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते भारत सरकार द्वारा हकदार अधिकारियों की सुविधा के लिए जारी आदेश और परिपत्र का भी पालन करता है। वित्त मंत्रालय ने समय समय पर कई परिपत्र जारी की है। सरकार द्वारा दिनांक 11 मई, 2012 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. Coord/2012 **(अनुलग्नक -वी पृ/सं. 53)** अब तक का नवीनतम ज्ञापन है। यह कार्यालय ज्ञापन पहले दिनांक 11 नवम्बर 2006/10 अप्रैल 2007/ 9 जुलाई 2007 और 13 सितम्बर 1996 (**अनुलग्नक -वी पृ/सं. 54-61**) को जारी कार्यालय ज्ञापनों को भी संदर्भित करता है।

विश्वविद्यालय प्रणाली में, कुलसचिव और वित्त अधिकारी भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समकक्ष माना जाता है, चूंकि कुलसचिव और वित्त अधिकारी के ग्रेड वेतन रु 10,000 है, जो संयुक्त सचिव के स्तर के बराबर है। उप कुलसचिव का ग्रेड वेतन रु 7,600/8,700 है। इसलिए ग्रेड वेतन के आधार पर उप कुलसचिव को उप सचिव, भारत सरकार के समक्षक माना जाता है।

इसलिए यह प्रस्तावित है कि टेलीफोन/इंटरनेट के माध्यम से डेटा कार्ड और समाचार पत्र की सुविधा के संबंध में, सिक्किम विश्वविद्यालय को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र और कार्यालय आदेश का पालन करना चाहिए।

समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

कार्यवृत्त

सदस्यों ने व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर चर्चा की और उसके अनुरूप अनुमोदन किया।

एफ़सी: 13:09	**यांगयांग में सिक्किम विश्वविद्यालय का परिसर**

एजेंडा टिप्पणी :

सिक्किम विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर 300 एकड़ के पहाड़ी इलाके में गंगटोक से 56 किलोमीटर दूरी पर यांगयांग में बनाया जा रहा है। भूमि का मुख्य भाग (88%) सिक्किम सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया जा चुका है और बाकी के जमीन को जल्द ही हंस्तांतरित किया जाएगा। छह किलोमीटर के दायरे में परिसर की चारदीवारी का निर्माण कार्य जारी है। रु 12.48 करोड़ की लागत से बनाने वाले चारदीवारी का कार्य राज्य सरकार के पीडबल्यूडी विभाग को दिया जा चुका है। लगभग 75% से अधिक का कार्य पूरा हो चुका है।

आज तक विश्वविद्यालय द्वारा परिसर विकास से संबंधित निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया जा चुका है।

1. वास्तुकार का चयन कर लिया गया है और वास्तुकार और विश्वविद्यालय के बीच समझौते पर अमल किया गया है।
2. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) का चयन किया जा चुका है।
3. वास्तुकार द्वारा प्लिंथ एरिया दर के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट जमा की जा चुकी है और दिनांक 08.09.2015 को आयोजित भवन समिति की बैठक में वास्तुकार द्वारा प्रस्तुति दी गयी है।
4. भवन समिति ने तीन चरणों में निर्मित परिसर के लिए रु 1619 करोड़ के डीपीआर को अनुमोदन प्रदान किया है। जिसकी प्रथम चरण की अनुमानित लगात रु 827 करोड़ है।

वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के बाद डीपीआर को प्रथम चरण के कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अतरिक्त राशि के भुगतान हेतु यूजीसी/एमएचआरडी को प्रस्ताव भेजा गया है। हमारे वित्तीय अनुमान के अनुसार, मार्च 2017 के अंत तक हमें रु 236 करोड़ की राशि की आवश्यकता है। 12वीं योजना की स्वीकृति से हमारे पास कैंपस विकास के लिए रु 110 करोड़ की राशि उपलब्ध है। इसलिए परिसर विकास को सुचारु रुप से गति देने हेतु रु 126 करोड़ अतरिक्त राशि की अवश्यकता है।

12वीं योजना में रु 591 करोड़ (रु 827 करोड़- रु 236 करोड़) शेष राशि की आवश्यकता है। हमारे अनुमान के अनुसार प्रथम चरण अगस्त, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

भवन समिति की 5वीं बैठक के बाद के कार्यवित्त और सभी विवरण समिति के अनुमोदन के लिए (**अनुलग्नक –वी पृ/सं. 54-61**) में संलग्न है।

कार्यवित्त

सदस्यों ने इस मामले पर गहन चर्चा की और सैद्धान्तिक रूप में विषय को मंजूरी दी। सदस्यों ने सैद्धान्तिक रूप से यांगयांग में परिसर के निर्माण के लिए डीपीआर को भी मंजूरी दी और परिसर के निर्माण के लिए कार्य आदेश को पूंजीगत मद के तहत निधि की उपलब्धता के आधार पर करने का सुझाव दिया।

कुलपति द्वारा समिति को सूचित किया कि डोनर, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पीएसयू आदि जैसे अन्य स्रोतों से फंड की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई और कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर विकास के विचार की सराहना की।

एफ़सी: 13:09	आसान के आदेश से अन्य मुद्दे, यदि कोई

चर्चा के लिए कोई और मुद्दा नहीं होने के कारण अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता./-
(प्रोफेसर टी.बी.सुब्बा)
अध्यक्ष
वित्त समिति

हस्ता./-
(सीए. पी.के.सिंह)
वित्त अधिकारी सह सचिव
वित्त समिति